कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती स्वाति भटनागर, प्रबन्धक, गुरू नानक भवन संस्थान, (समकक्ष प्रधानाचार्य–राउमावि) जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकन्दरा, सिकराय जिला दौसा किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती स्वाति भटनागर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर से एस.बी.सिविल याचिका संख्या 21742/2019 में अन्तरिम स्थगनादेश प्राप्त कर लिया गया।

माननीय न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश दिनांकः 18.02.2020 के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 495/2020 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर बनाम स्वाति भटनागर दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 23.07.2020 द्वारा माननीय एकलपीठ द्वारा दिये गए अन्तरिम आदेश को स्थगित कर दिया गया है।

माननीय न्यायालय की डिवीजन बैन्च के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में श्रीमती स्वाति भटनागर, प्रबन्धक, गुरू नानक भवन संस्थान, (समकक्ष प्रधानाचार्य–राउमावि) जयपुर को तत्काल कार्यमुक्त कर आदेशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में अपने स्थानान्तरित स्थान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकन्दरा, सिकराय जिला दौसा में प्रधानाचार्य के पद पर दिनांक **28.07.2020** तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का इन्द्राज शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/डी.बी. स्पेशल अपील/495/2020/484 दिनांकः 25.07.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/दौसा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/दौसा।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. प्रधानाचार्य, गुरू नानक भवन संस्थान, जयपुर।
11. श्रीमती स्वाति भटनागर, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)